

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक : ५७


दिनांक : ३०-१-२१

कार्यालय आदेश

राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, १९८६ के नियम ३१ में किए गए प्रावधानों के अनुसार, कोटा न्यायक्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय के उपलब्ध स्थाई (Permanent) पदों के परिप्रेक्ष्य में, कोटा न्यायक्षेत्र में पदस्थापित निम्नलिखित कर्मचारीगण (आशुलिपिक संवर्ग) को, उनके द्वारा निर्धारित परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिए जाने के उपरान्त, उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या ६ में अंकित तिथि से, स्थाई (Confirm) किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	नियुक्ति तिथि	परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि	स्थाईकरण की दिनांक
१	२	३	४	५	६
१	श्री दिनेश चंद गुप्ता	आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	०९.०४.२००३	०९.०४.२००४	०९.०४.२००४
२	श्री अंकित पारीक	आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	२३.१०.२०१७	२३.१०.२०१९	२३.१०.२०१९
३	श्री सचिन अरोड़ा	आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	२३.१०.२०१७	२३.१०.२०१९	२३.१०.२०१९

- नोट : १. कर्मचारीगण के स्थाईकरण का इन्द्राज सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जावे।
२. उक्त आदेश से कर्मचारियों की वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

क्रमांक : १९०१-१९०९

दिनांक ३०-१-२१

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय, कोटा न्यायक्षेत्र, कोटा
२. सम्बन्धित कर्मचारी श्री
३. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को जिला न्यायालय, कोटा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
४. निजी पत्रावली सम्बन्धित कर्मचारी
५. कार्यालय प्रति


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा